अनुदान संख्या 71 – पंचायती राज मंत्रालय
GRANT No. 71 - MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	900,94,00		900,96,00	686,26,78	-214,69,22
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					214,60,30

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2515"	Major Head "2515"				
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Other Rural Development Programmes				
मू.	O.	9920.00	16752.47	16752.46	-0.01
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	6830.47			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर–पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	8677.00	..	..	..
पु.	R.	-8677.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	65676.00	46419.00	46419.00	..
पु.	R.	-19257.00			

(I) ₹8677.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552" – "अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम – पंचायती राज – पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ से संबंधित स्कीमों" के अंतर्गत एक मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹8677.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under Major Head "2552" - "Other Rural Development Programmes - Panchayati Raj - Schemes for benefit of NEA" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2515" – "पंचायती राज – राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान" – ₹1078.88 लाख की बचत (₹8900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम परामर्शदाताओं को रखे जाने, राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2515" - "Panchayati Raj - Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan" - saving of ₹1078.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8900.00 lakhs) was due to hiring of less consultants, receipt of less proposals from States/implementing agencies and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(III) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(का) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान" – ₹14077.23 लाख की बचत (₹44439.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(A) "Central Assistance/Share - Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan" - saving of ₹14077.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹44439.20 lakhs);

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना– राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान" – ₹3365.69 लाख

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan" - saving of

की बचत (₹13989.32 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान" – ₹1814.08 लाख की बचत (₹7247.48 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹365.68 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत थीं।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹7964.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2515" – "पंचायती राज – स्वामित्व" के अंतर्गत सितम्बर, 2020 में ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

₹3365.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13989.32 lakhs); and

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan" - saving of ₹1814.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7247.48 lakhs).

Savings under the above three heads were due to receipt of less proposals from the State Governments and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) Under one head saving of ₹365.68 lakhs occurred constituting 11 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (₹7964.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in September, 2020 under Major Head "2515" - "Panchayati Raj - Svamitva".